संख्या– 23 /44–2–2चस/88–91

प्रेषक,

संजय प्रसाद
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों निगमों से संबंधित शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव उ0प्र0 शासन।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2 लखनऊ/दिनांकः 19 फरवरी2013

विषयः– सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को सेवायोजन में लिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सार्वजनिक उद्यम अनु0–2 के शासनादेश संख्या–05वीआईपी/44–2–2003–2/चस/88, दिनांक 11.7.2003 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में उल्लिखित संदर्भित शासनादेश संख्या–939/चौवालिस–2–2/चस/88–91, दिनांक 31.8.1991 के पृष्ठ–1 एवं 2 पर उल्लिखित उप प्रस्तर–1 में इंगित अंश 'जिनके वेतनमान का अधिकतम 2200 से कम हो,' के स्थान पर "जिनके वेतनमान का अधिकतम, जहां चतुर्थ वेतनमान लागू है वहां रू0–2200/– से कम हो, जहां पंचम वेतनमान लागू है वहां रू0–7000/– से कम हो एवं जिन निगमों में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू हो चुकी हैं वहां वेतन बैण्ड–1 रू0–5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0–2800/– से कम हो,' प्रतिस्थापित किया जाता है। उक्त आदेश दिनांक 31.8.91 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

2– यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप जहां पंचम वेतनमान लागू हैं वहां यह नियुक्ति वेतनमान 4500–7000 से कम अर्थात रू0–4000–6000 में ही की जा सकेगी तथा जहां छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू हैं वहां वेतनमान रू0–5200–20200 ग्रेड पे रू0–2800 के अन्तर्गत किसी मृतक आश्रित की नियुक्ति नहीं की जा सकती है बल्कि आश्रित की नियुक्ति उससे न्यून वेतनमान/ग्रेड पे (रू0–2400) के अन्तर्गत ही की जा सकेगी।

प.बै.रू.5200–20200

3– प्रकरण में शासनादेश संख्या–05वीआईपी/44–2–2003–2/चस/88, दिनांक 11.7.2003 में संदर्भित समस्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें पूर्ववत यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

(संजय प्रसाद)
सचिव

संख्या– 23 (1)/44–2–2012,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1
(4) वित्त(वेतन आयोग) अनु0–2
(5) कार्मिक अनुभाग–2

आज्ञा से,

(सुधा श्रीवास्तव)
अनु सचिव